BSES

बिजली चोरी में उद्योगपति को 4 साल की सश्रम कैद, 1 करोड़ का जुर्माना

- उद्योगपति के बेटे को भी साढ़े सात महीने की सजा
- बाप–बेटे संयुक्त रूप से करेंगे 1 करोड़ रूपये के जुर्माने का भुगतान

नई दिल्लीः 4 जून, 2009। द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में, उद्योगपति पूरन चंद लाकरा को 4 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। उस के बेटे मुकेश लाकरा को भी साढ़े सात महीने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने बाप–बेटे पर संयुक्त रूप से करीब 1 करोड़ रूपये का जुर्माना भी किया है। यदि वे जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने अधिक, जेल में गुजारने होंगे। पूरन चंद के पिछले रेकॉर्ड को देखते हुए स्पेशल कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि उसे अगले तीन महीने तक बिजली की आपूर्ति नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह, बिजली चोरी के किसी भी मामले में और दिल्ली की किसी भी स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई अब तक की सबसे बड़ी व कठोर सजा है।

दरअसल, दिसंबर, 2006 में बीएसईएस एन्फोर्समेंट ने मुंडका में साइकिलों के पहिए बनाने वाले एक उद्योग पर छापा मारा था, जहां 102 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। वहां, निकट से गुजर रही बीएसईएस की तारों पर कंटिया डालकर, चोरी की बिजली से उद्योग चलाया जा रहा था। हालांकि वहां बिजली के तीन मीटर मिले थे, लेकिन एक मीटर तो काम ही नहीं कर रहा था, जबकि अन्य मीटर जले हुए पाए गए थे। जांच में पता चला कि इस उद्योग के मालिक हैं पूरन चंद लाकरा और मुकेश लाकरा। बिजली का कनेक्शन मुकेश लाकरा के नाम ही था।

भारतीय बिजली कानून के निर्देशों के हिसाब से, बीएसईएस ने बिजली चोरी के आरोपियों पर, 38 लाख रूपये का जुर्माना किया था। लेकिन उन्होंने निर्धारित समय–सीमा के अंदर जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं किया। इसके बाद, बीएसईएस इस मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई। आरोपियों ने कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लिया और यह साबित करने की पूरी कोशिश की वे दोषी नहीं हैं। उन्होंने बेटे मुकेश के पक्ष में एक गवाह भी पेश किया और कोर्ट को बताया कि बेटा मुकेश कोई दूसरा काम करता है और उस का इस उद्योग से कोई लेना–देना नहीं।

लेकिन बीएसईएस के पास पर्याप्त सबूत थे। कंपनी ने छापेमारी के दौरान की गई विडियोग्राफी अदालत में पेश की और प्रत्यक्षदर्शियों को भी बुलाया। बीएसईएस ने यह साबित किया कि छापेमारी के वक्त पूरन चंद लाकरा न सिर्फ वहां मौजूद था, बल्कि वह बिजली की अवैध तारों को उद्योग परिसर से हटा भी रहा था। बीएसईएस ने कोर्ट में यह भी साबित किया कि बिजली का एक मीटर पूरन के बेटे मुकेश के नाम है।

तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने कहा – यह बात अब साबित हो चुकी है कि पूरन चंद लाकरा छापेमारी के वक्त उद्योग परिसर में मौजूद था और साथ ही, मुकेश लाकरा भी इस उद्योग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि, एक तो बिजली का मीटर मुकेश के नाम है और दूसरा, वह आरोपी का बेटा भी है। और, दोनों आरोपी इस बारे में कोई मजबूत प्रमाण पेश नहीं कर पाए कि उनका इस उद्योग से कोई मतलब नहीं है।

उद्योगपति पूरन चंद के आदतन बिजली चोर होने के मामले को ध्यान में रखते हुए, स्पेशल कोर्ट ने उसे 4 साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई, जबकि उस के बेटे मुकेश को साढ़े सात महीने की जेल की सजा सुनाई। दोनों को संयुक्त रूप से करीब एक करोड़ रूपये जुर्माने के तौर पर भुगतान करने होंगे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304